## कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

## प्रेस - नोट

**दिनांक- 08.11.2024**

**विषय- हरे कृष्ण ज्वैर्लस के कर्मचारी से सोने, चाँदी, हीरे के आभूषण चोरी करने वाले 03 शातिर चोरों को व आभूषण को क्रय करने वाले 02 अभियुक्त (स्वर्णकार) को मात्र 05 घण्टे के अंदर ही गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी किये गये आभूषण के बिक्री का 32639/- रुपये नगद व चोरी किये गये आभूषण व खरीदे गये आभूषण को बरामद करने में सफलता प्राप्त किया गया।**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराधों की रोकथाम तथा चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित / फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली डा0 ईशान सोनी व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजीव कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में कमिश्नरेट वाराणसी में हो रही चोरी / टप्पेबाजी की घटनाओं के सफल अनावरण के क्रम में **दिनांक 07.11.2024 को लहुरावीर स्थित प्रतिष्ठान हरे कृष्ण ज्वैलर्स के कर्मचारी द्वारा सोने, चांदी व हीरे के आभूषण की रिपेयरिंग करवाने के लिए सुड़िया लेकर जा रहे थे कि रास्ते में थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत सोराकुंआ के पास चोरों द्वारा भीड़ का फायदा उठाकर उनके आभूषण की चोरी दोपहर 12.00 बजे कर लिये थे। जिसकी कीमत करीब 326060/-रुपये थी, चोरी की घटना का मात्र 05 घण्टे के अंदर ही सफल अनावरण करते हुए** थाना कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी की घटना को कारित करने वाले 03 शातिर किस्म के अपराधियों / टप्पेबाजों / चोरों को हरिशचन्द्र पार्क में स्थित शौचालय के पास से दिनांक 08.11.2024 को समय 04.30 बजे पूर्वान्ह गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया गया और उनके पास से आभूषण बिक्री का नगद 32639/- रुपये व चोरी किये गये आभूषण को बरामद किया गया तथा अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान उनके द्वारा चोरी किये गये आभूषण को जिस दुकान पर बेचा गया था उनकी निशानदेही पर आभूषण को क्रय करने वाले 02 अन्य अभियुक्तगण को भी गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से खरीदा गया आभूषण को भी बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

**घटना का विवरणः-** लहुरावीर स्थित प्रतिष्ठान हरे कृष्ण ज्वैलर्स के कर्मचारी जो प्रतिष्ठान पर लगभग 20 वर्ष से काम करते है, दिनांक 07.10.2024 को सोने, चांदी व हीरे के आभूषण की रिपेयरिंग करवाने के लिए ( कीमत करीब 326060/-रुपये) को लेकर सुड़िया थाना चौक क्षेत्र जा रहे थे कि रास्ते में बुलानाला के पास अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बातचीत करते हुये सोराकुँआ तक गये और भीड़ का फायदा उठाकर कर्मचारी के पास रखे आभूषण की चोरी दोपहर 12.00 बजे कर लिया गया था, जिसके संबंध में हरे कृष्ण ज्वैलर्स प्रतिष्ठान के मालिक रौनक गोयल द्वारा दिनांक 07.11.2024 को थाना कोतवाली पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 121/24 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था।

**विवरण पूछताछ चोरी करने वाले अभियुक्तगणः-** गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि साहब हम लोग चोरी करते है तथा हम लोग पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुके है। अभी कुछ दिन पहले हम तीनों लोगो ने मिलकर ठठेरी बाजार चौक में चोरी किए थे। जो भी सामान हमलोग के पास से मिला है। वह हमलोग मिलकर भीड़ का फायदा उठाते हुए एक व्यक्ति के जेब से निकाल लिए थे। जिसमे

कुछ माल हम लोग शुभम् स्वर्ण कला केन्द्र हनुमान फाटक आदमपुर के मालिक अरविन्द कुमार सेठ को बेच दिये थे तथा माल बेचने के बाद जो पैसा मिला था तथा बचे माल को हम लोग हरिशचन्द्र पार्क में आपस में बटवारा कर रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

**विवरण पूछताछ आभूषण खरीदने वाले अभियुक्तगणः-** गिरफ्तारशुदा अभियुक्त अरविंद कुमार सेठ द्वारा बताया जा रहा है कि साहब मै विनोद डोम को जानता हूं जो मेरे यहां अक्सर ही सोने चांदी के आभूषण को बेचने के लिये आता रहता है दिनांक 07.11.2024 को भी मेरी दुकान पर सोने का लाकेट, पायल एक जोड़ी चाँदी की सिकड़ी मुझे बेचा था जिसके बदले मै विनोद डोम को 8800/- रुपये दिया था वो सोने का लाकेट, पायल एक जोड़ी चाँदी की, सिकड़ी चाँदी की मुझे दिया था विनोद डोम मेरे यहाँ अक्सर ही ऐसे चोरी के समान बेचने आया करता था, जिसे मै भली भाँती जानता हूँ तथा विनोद डोम एक सोने का लाकेट दार चैन व कान का झुमका भी लाया था मेरे पास पैसे न होने के कारण मैने उसे नही खरीदा था उसे मैने ही अपने मित्र हनुमान फाटक क्षेत्र में स्थित निर्मला अलंकार मन्दिर के संचालक अचल सेठ को बेचवाया था। गिरफ्तार अभियुक्त अचल सेठ पूछने पर बता रहा है कि मैने सोने की चेनदार लाकेट व सोने के कान के झुमके को खरीदा था जिसको मैने उसी समय गला दिया था गलाने के बाद उसका वजन 17 ग्राम था जिसके बदले मैने विनोद डोम को 46000/- रुपये नगद दिये थे

**पंजीकृत अभियोग का विवरण**-मु0अ0सं0- 121/24 धारा 303(2) BNS व बढोत्तरी धारा 317(2), 317(4), 317(05) BNS थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी।

**गिरफ्तार अपराधियों का विवरण-**

1. कल्लू डोम पुत्र राजा नि० बेनीपुर, पहाडिया मण्डी थाना लालपुर पाण्डेयपुर, वाराणसी उम्र 21 वर्ष।
2. पवन डोम उर्फ काले पुत्र बज्जू डोम नि० A-36/02 राजधाट भदऊ चुगी थाना आदमपुर वाराणसी उम्र 22 वर्ष।
3. बिनोद डोम s/o शंकर डोग R/0 A- 36/02 राज घाट भदऊ चुंगी थाना आदमपुर वाराणसी उम्र 23 वर्ष।
4. अरविंद कुमार सेठ पुत्र स्व0 मोहन लाल सेठ निवासी 31/170 ए हनुमान फाटक थाना आदमपुर कमि0 वाराणसी उम्र करीब 41 वर्ष **( स्वर्ण कार)**
5. अचल सेठ पुत्र श्री मन्ना सेठ निवासी ए 29/97 हनुमान फाटक थाना आदमपुर वाराणसी उम्र करीब 40 वर्ष ( **स्वर्णकार)**

**गिरफ्तारी/बरामदगी का स्थान व समयः-** दिनांक- 08.11.2024 समय 04.30 बजे पूर्वान्ह **स्थानः-** हरिशचन्द्र पार्क में स्थित शौचालय के पास से थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।

**विवरण बरामदगीः –**

1. 32639/- रुपये नगद ( बिक्री का )
2. ब्रेसलेट 02 अदद
3. एक जोडी पायल
4. चैन 01 अदद पीली धातु 2 भाग में टूटी हुयी,
5. अगूंठी 01 अदद पीली धातु की नगयुक्त
6. सोने का लाकेट,पायल एक जोड़ी चाँदी की, सिकड़ी चाँदी की ( बेचा गया माल )
7. 17 ग्राम सोने का टुकड़ा गला हुआ ( बेचा गया माल )

**आपराधिक इतिहास-**

| (1) अभियुक्त पवन डोम उर्फ काले उपरोक्त | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र0सं0** | **मु0अ0सं0** | **धारा** | **थाना** | **जनपद** |
| 1. | 156/19 | 147, 323, 354, 354(क), 452, 504, 506 भादवि | **आदमपुर** | **वाराणसी** |
| 2. | 137/20 | 392/411 भादवि | कोतवाली | वाराणसी |
| 3. | 09/21 | 457/380/411 भादवि | आदमपुर | वाराणसी |
| 4. | 64/22 | 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधि0 | आदमपुर | वाराणसी |
| 5.. | 22/23 | 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट | आदमपुर | वाराणसी |
| 6. | 121/24 | 303(2),317(2),317(4),317(05) BNS | कोतवाली | वाराणसी |

| (2) अभियुक्त विनोद डोम उपरोक्त | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र0सं0** | **मु0अ0सं0** | **धारा** | **थाना** | **जनपद** |
| 1. | 38/22 | 379/411 भादवि | चौक | वाराणसी |
| 2. | 55/22 | 392/411 भादवि | चौक | वाराणसी |
| 3. | 56/22 | 8/20 एनडीपीएस एक्ट | चौक | वाराणसी |
| 4. | 101/23 | 60 आबकारी अधि0 | चौक | वाराणसी |
| 5. | 37/24 | 3/25 आर्म्स एक्ट | चौक | वाराणसी |
| 6. | 121/24 | 303(2),317(2),317(4),317(05) BNS | कोतवाली | वाराणसी |

| (3) अभियुक्त कल्लू उपरोक्त | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र0सं0** | **मु0अ0सं0** | **धारा** | **थाना** | **जनपद** |
| 1. | 288/23 | 380/411/457 भादवि | सारनाथ | वाराणसी |
| 2. | 312/23 | 380/411 भादवि | सारनाथ | वाराणसी |
| 3. | 121/24 | 303(2),317(2),317(4),317(05) BNS | कोतवाली | वाराणसी |

**गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह, थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री नितेश कुमार, चौकी प्रभारी काल भैरव थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 कुलदीप सिंह, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।
4. का0 शिवम भारती, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।
5. का० सूरज यादव, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।
6. का0 पंकज राय, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी

**सोशल मीडिया सेल**
**पुलिस उपायुक्त काशी जोन**
**कमिश्नरेट वाराणसी।**